न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी

मु.नं. : 09/2024	तारीख रपट 07.05.2024	निर्णय दिनांक 15.05.2024

सरकार बनाम कैलाश चंद

:- निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई । प्रकरन का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का [illegible] ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि कैलाशचन्द पुत्र रामसहाय जाति मीणा निवासी [illegible] गंगापुर सिटी ने ग्राम बाढ़ सालौदा के खसरा नं. 45 में कुल रकबा 1200 वर्गफीट किस्म मंदिर माफी पर संवत् 2080 में अनाधिकृत रूप से पुराना मकान बनाकर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब इस आशय पेश किया कि प्रार्थी को नोटिस गलत तथ्यों के आधार पर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड क्रय किया हुआ है तथा लगभग 20 वर्षो से मकान बनाकर रह रहा है। खसरा नंबर 45 व आस-पास स्थित अन्य खसरा नंबरान में पूर्ण कॉलोनी विकसित है तथा नल व विद्युत कनेक्शन ले रखें है। अतः केवल प्रार्थी को नोटिस दिया जाना अनुचित है। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

उपस्थित पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल द्वारा भी अपने जबाव में लगभग 20 वर्षो पुराना मकान बनाकर रहना अवगत कराया है। उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा मंदिर माफी की भूमि पर अवैध अतिचार किया है तथा अतिचारी के विरूद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 1/- की 50 गुना शास्ति 50/-रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जब्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर"घ" के पेज संख्या ....
पर रुपये 50/- की कायमी वर्ष
2024-25 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार